



## छूट / रियायतें

साक्षरता व अंक ज्ञान के मूल्यांकन का राष्ट्रीय कार्यक्रम - एक ऐसा मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसके द्वारा तीसरी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, सातवीं कक्षा व नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों की साक्षरता व अंकों से संबंधित ज्ञान व योग्यताओं की जाँच की जाती है।

इन परीक्षाओं के परिणाम विद्यार्थियों, माता पिता, अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धियों से जुड़ी वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे पढ़ाने व सीखने में सहायता मिल सकती है।

NAPLAN के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया [www.vcaa.vic.edu.au](http://www.vcaa.vic.edu.au) वेब साइट पर Parent Information Pamphlet (पेरेंट सूचना पत्र) देखें।

कुछ विशेष स्थितियों में विद्यार्थियों को NAPLAN परीक्षा से छूट भी मिल सकती है। प्रधानाचार्य द्वारा केवल निम्नलिखित को छूट दी जा सकती है :

### • मानसिक रूप से विकलांग छात्रों को

ऐसे छात्र / छात्राएं जो गंभीर मानसिक विकलांग होने के कारण आंकलन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते, उनको छूट मिल सकती है। इनमें ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं जो आंकलन के साधारण निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते। लेकिन विद्यार्थियों को केवल इस कारण से छूट नहीं दी जा सकती कि वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते या उन्हें अनुशासन में कठिनाई होती है। जिन विद्यार्थियों का विशेष प्रबंधों से आंकलन किया जा सकता है उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विशेष प्रबंधों के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने विद्यालय से संपर्क करें।

### • विद्यार्थी जो एक वर्ष से भी कम समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं

जो विद्यार्थी परीक्षा होने से पहले एक वर्ष के अन्दर, अंग्रेजी नहीं बोलने वाली पृष्ठभूमि से यहाँ आए हैं, उनको छूट मिल सकती है।

विद्यार्थियों को एक या अधिक परीक्षाओं में छूट मिल सकती है।

जिन विद्यार्थियों को किसी भी NAPLAN परीक्षा में छूट की अनुमति मिलती है उन्हें, परिणामों की दृष्टि से राष्ट्रीय मानदंडों की निम्नतम श्रेणी के नीचे वाले वर्ग में रखा जायेगा।

उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य कारणों से NAPLAN परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थियों को छूट दिए गए विद्यार्थियों के रूप में पंजीकृत नहीं कराया जाना चाहिए।

छूट मिलने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए Record of Exemption फॉर्म भरा जाना चाहिए और उस पर प्रधानाचार्य के साथ माता पिता / अभिभावक के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।

छूट मिलने वाले वो विद्यार्थी जो परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहेंगे उन्हें अनुपस्थित के स्थान पर छूट दिया गया दिखाया जाएगा।